No.1(11)/2010-Plg.
Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)
Office of the Development Commissioner (MSME)
(Planning Division)
***

7th Floor, 'A' Wing
Nirman Bhawan.
New Delhi - 110108
Dated: 21st May, 2010

Subject: Equitable distribution of expenditure during the FY 2010-11

Ministry of Finance have issued instructions from time to time to reduce rush of expenditure during the last quarter especially in the last month of the financial years. For complying with these instructions, it is necessary that the expenditure is equitably distributed for each month by working out an expenditure management plan. In this regard, the following phasing of expenditure as envisaged by Ministry of Finance is reiterated :

(i) January – March 2011 : Not more than 1/3rd (33%) of the Budget Estimates (BE) may be spent in this quarter of the FY. (It implies that to optimize the budget utilisation, atleast 67% of the BE should be spent during April – December 2010)

(ii) During March 2011 : The expenditure should be limited to 15% of the BE

Further, it may be recalled that the Revised Estimates (RE) are prepared in the month of September /October 2010 on the basis of savings /expenditure upto September 2010. Therefore, the expenditure upto September 2010 also becomes crucial as it helps in justifying the proposals for RE. This aspect may also be kept in view while ensuring phasing of expenditure upto September 2010.

In view of the above, all Divisions are requested to utilise the funds in the manner mentioned above.

This issues with the approval of AS&DC(MSME).

(M. P. Singh)
Economic Adviser

To

ADC&EA / ADC / DDG / JDC(HSM) / JDC(AB) / JDC(DP) / AEA / AIA / All Directors / Deputy Directors / Assistant Directors dealing with plan schemes, O/o DC(MSME)

Copy to :

PS to AS&DC (MSME), New Delhi

सं 1(11)/2010-योजना
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
(योजना प्रभाग)
***

सातवां तल, 'ए' विंग
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108
दिनांक: 21 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान व्यय का समान वितरण

वित्त मंत्रालय ने अंतिम तिमाही, विशेष रूप से वित्तीय वर्षों के अंतिम माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह कम करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन करने के लिए, यह आवश्यक है कि एक व्यय प्रबंधन योजना तैयार करते हुए व्यय को प्रत्येक माह के लिए समान रूप से वितरित किया जाए। इस संबंध में, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार व्यय को निम्नलिखित रूप से चरणबद्ध किए जाने को दुहराया जा रहा है:

(i) जनवरी-मार्च 2011: वित्तीय वर्ष की इस तिमाही में बजट अनुमान (बीई) के एक तिहाई (33%) से अधिक खर्च न किया जाए। (इसका अर्थ है कि बजट उपयोग को इष्टतम करने के लिए, बजट अनुमान का कम से कम 67% अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान व्यय किया जाए।)
(ii) मार्च 2011 के दौरान: व्यय बजट अनुमान के 15% तक सीमित होना चाहिए

इसके अतिरिक्त, आपका पुन: ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि सितंबर 2010 तक बचत/व्यय के आधार पर सितंबर/अक्टूबर माह में संशोधित अनुमान (आरई) तैयार किए जाने हैं। अत: सितंबर 2010 तक का व्यय भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह आरई के लिए प्रस्तावों को आधार प्रदान करता है। सितंबर 2010 तक व्यय को चरणबद्ध करते हुए इस पक्ष को भी ध्यान में रखा जाए।

उपरोक्त को देखते हुए, सभी प्रभागों से उपरोक्त उल्लिखत तरीके से निधियों का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

यह अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एम.पी. सिंह)
आर्थिक सलाहकार

सेवा में,
अ.वि.आ. एवं आ.स./अ.वि.आ./ डीडीजी/ सं.वि.आ.(एचएसएम)/ सं.वि.आ.(एबी)/ सं.वि.आ.(डीपी)/अ.आ.स./अ.औ.स./प्लान स्कीमों से संबंधित सभी निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वि.आ.(एमएसएमई) का कार्यालय

प्रति:
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के निजी सचिव, नई दिल्ली